दिनांक 07.11.2023 (मंगलवार) को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत बिहार मानवाधिकार आयोग के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

(1)	न्यायमूर्ति श्री अनंता मनोहर बदर	– अध्यक्ष
(2)	श्री उज्ज्वल कुमार दूबे	– सदस्य
(3)	श्री शशि शेखर शर्मा	– सदस्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से सभी का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाई प्रारंभ की गयी। बैठक में आगामी 10 दिसम्बर 2023 (रविवार) को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं बिहार मानवाधिकार आयोग के 15वें स्थापना दिवस के आयोजन के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गया।

1– निर्णय लिया गया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में निहित आयोग के कार्य/उद्देश्य के आलोक में समाज के वंचित वर्ग में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता एवं उसके संरक्षण के उपायों की जानकारी को बढ़ावा देने हेतु सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 10.12.2023 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाय। ताकि इसका समुचित प्रभाव Target group के बीच हो सके।

2– निर्णय लिया गया कि दिनांक 10.12.2023 को राज्य के सभी कारा में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) के सहयोग से **"मानवाधिकारों के प्रति विधिक जागरूकता"** विषय पर संसीमित बंदियों को सुलभ भाषा में जानकारी देने हेतु कार्यक्रम (12.30pm-2.30pm) का आयोजन किया जायेगा। जिसमें BSLSA के माध्यम से Panel Advocate/Para legal Volunteer द्वारा उपरोक्त विषय पर संगत वैधानिक प्रावधानो की जानकारी कारा के बंदियों को दी जायेगी। कार्यक्रम में बंदियो को दी जानेवाली कानूनी जानकारी का प्रारूप BSLSA द्वारा अनुमोदित कराकर DLSA के माध्यम से कार्रवाई की जायेगी। ताकि सभी कारा में होने वाले कार्यक्रम में एकरूपता रहे तथा कोई भी आवश्यक जानकारी न छुटे। BSLSA के द्वारा सभी कारा मे बंदियों के संख्या को देखते हुए कारा–वार पैनल के Panel Advocate/Para legal Volunteer की टीम गठित की जायेगी।

3– यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के कार्यक्रम हेतु बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण के पास पर्याप्त Fund होता है तथा उक्त Fund का उपयोग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जाय। किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर इसकी प्रतिपूर्ति बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा की जायेगी।

4– कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सभी जिलों के DLSA के अध्यक्ष (District and Session Judge), उपाध्यक्ष (District Magistrate) एवं DLSA के सचिव की होगी। जिनके स्तर से कार्यक्रम हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु मंच, पंडाल, टेबल, कुर्सी आदि की व्यवस्था संबंधित कारा अधीक्षक के स्तर से की जायेगी। कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

5– कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सचिव, BSLSA एवं सचिव, मानवाधिकार आयोग के स्तर से सभी संबंधितों को पत्र आदि यथाशीघ्र भेजते हुए अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

6– कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना आवश्यक है। ताकि राज्य के आम जनों एवं बंदियों को इसकी जानकारी हो सके। इस हेतु यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (कम से कम तीन) मे दिनांक 10.12.2023 के संस्करण एवं उसके पूर्व कम से कम दो बार प्रमुखता से Half Page में सूचना प्रकाशित कराया जाय। इस हेतु सूचना का प्रारूप अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित करा लिया जायेगा।

- अन्यान्य–आयोग द्वारा कार्यालय में कर्मियों के उपस्थिति हेतु Biometric Attendance (AEBAS) की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(शशि शेखर शर्मा) माननीय सदस्य	(उज्ज्वल कुमार दूबे) माननीय– सदस्य	(अनंत मनोहर बदर) माननीय अध्यक्ष

ज्ञापांक: बी0एच0आर0सी0/स्था0– 19/2022 16710 पटना, दिनांक 8/11/ 2023

प्रतिलिपि : माननीय अध्यक्ष कोषांग/ माननीय सदस्यगण कोषांग/ सचिव कोषांग/ अपर पुलिस महानिदेशक कोषांग/संयुक्त सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

08/11/23
सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना